2026:AHC:184810

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 30206 of 2025

Sandeep Indrajeet Tiwari

.....Applicant(s)

Versus

Union O.F. India

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Dhirendra Kumar Srivastava
Counsel for Opposite Party(s)	:	Ashish Pandey

Court No. - 75

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं० 17 सन 2023, अन्तर्गत धारा 8/22/25/29/30 एन.डी.पी,.एस. एक्ट, थाना एन.सी.बी.(लखनऊ जोन), जिला वाराणसी से उद्भूत सत्र वाद सं० 102 सन 2024 में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 14, वाराणसी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 03.07.2025 को केवल इस अंश/बिंदु तक अपास्त किए जाने हेतु योजित किया गया है, जिसके माध्यम से आवेदक की व्यक्तिगत जमातलाशी से बरामद वस्तुओं—एक स्वर्ण चेन मय पेंडेंट, तीन स्वर्ण अंगूठियां, एक स्वर्ण ब्रेसलेट तथा ₹850/- नकद राशि को रिलीज़ करने हेतु प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया गया था।

2.आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का सम्यक् अनुशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस मामलें में दिनांक 04.08.2023 को गिरफ्तारी के पश्चात, आवेदक की जमातलाशी ली गई और उसके कब्ज़े से दस वस्तुएं बरामद की गईं, जिनमें एक चेन, 3 अंगूठियां, एक ब्रेसलेट तथा ₹850/- की नकद राशि व अन्य सामग्री शामिल थी, जिसके संबंध में दिनांक 04.08.2023 को एक जमातलाशी फ़र्द तैयार की गई थी। तत्पश्चात, आवेदक ने दिनांक 23.05.2025 को अपनी जमातलाशी से बरामद वस्तुओं को निर्मुक्त (release) करने हेतु इस आधार पर एक आवेदन दायर किया कि आवेदक के अतिरिक्त उक्त वस्तुओं का अन्य कोई दावेदार नहीं है; इसके अतिरिक्त, बरामद वस्तुएं मामला संपत्ति (case property) से संबंधित नहीं हैं, अत: उक्त वस्तुओं को आवेदक के पक्ष में निर्मुक्त किया जाए। आवेदक के निर्मुक्ति आवेदन पर, उप-निरीक्षक (Sub Inspector), एन.सी.बी. ने दिनांक 03.07.2025 को इस आधार पर आपत्ति (Objection) दाखिल की कि मादक पदार्थों (Narcotics substance) के अवैध विक्रय प्रतिफल (illegal gain after sale consideration)

से इन वस्तुओं को खरीदा गया है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आवेदन के लंबित रहने के दौरान, आवेदक की ओर से सोने के आभूषणों के संबंध में एक एस्टीमेट (Estimate) प्रस्तुत किया गया था, जिससे यह दर्शित होता है कि सोने की वस्तुएं उसकी पत्नी द्वारा खरीदी गई थीं। विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं. 14, वाराणसी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश (impugned order) दिनांक 03.07.2025 के माध्यम से आवेदक का स्वर्ण चेन मय पेंडेंट, तीन स्वर्ण अंगूठियां, एक स्वर्ण ब्रेसलेट तथा ₹850/- नकद राशि की निर्मुक्ति से संबंधित बिंदु/अंश तक निर्मुक्ति आवेदन खारिज कर दिया गया है। इससे आक्षेपित आदेश दिनांक 03.07.2025 पारित करते समय, संबंधित न्यायालय ने संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ प्रश्नगत बरामद वस्तुओं पर आवेदक की पत्नी के स्वामित्व (ownership) पर विचार नहीं किया है। आवेदक के अतिरिक्त, आज तक प्रश्नगत बरामद वस्तुओं पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया गया है, संबंधित न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 03.07.2025 पारित करते समय इस पहलू की भी उपेक्षा की है। उनके द्वारा अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **'सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य'** (एस.सी., ए.सी.सी. 2003, वॉल्यूम 46, पृष्ठ 223 में रिपोर्टेड) के मामलें में यह निर्धारित किया गया है कि संपत्ति के निस्तारण के अधिकार का प्रयोग शीघ्रता से एवं विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और इसे लंबे समय तक थाने/मालखाने में रखना उपयोगी नहीं है, परंतु प्रस्तुत मामले में, माननीय शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का संबंधित न्यायालय द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि बरामद वस्तुएं एवं नकद राशि अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित लाभ का हिस्सा हो सकती हैं, अत: विचारण न्यायालय द्वारा निर्मुक्ति आवेदन निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

5. उभय पक्षकारों के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वस्तुएं (स्वर्ण आभूषण एवं नकद ₹850/-) अभियुक्त/आवेदक की व्यक्तिगत जमातलाशी से बरामद की गई थीं, किंतु ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य वर्तमान चरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह सिद्ध करे कि यह विशिष्ट आभूषण किसी अपराध की विषय-वस्तु (subject matter) हैं या इनके थाने/मालखाने में बने रहने से मुकदमे के विचारण पर कोई अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सुंदरभाई अंबालाल देसाई (सुप्रा)** के ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि ज़ब्त की गई संपत्ति/वस्तुओं को अनावश्यक रूप से मालखाने या थाने में वर्षों तक रोके रखना जनहित एवं न्यायहित में नहीं है। न्यायालयों को ऐसी वस्तुओं की उचित फोटो/पंचनामा तैयार कराकर तथा उपयुक्त मुचलके/प्रतिभूति पर उनके वास्तविक स्वामी को अवमुक्त/निर्मुक्त कर देना चाहिए।

6. विचारण न्यायालय (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-14, वाराणसी) ने आक्षेपित आदेश दिनांक 03.07.2025 पारित करते समय उक्त विधिक सिद्धांतों तथा स्वामित्व संबंधी अभिलेखों का सम्यक् मूल्यांकन नहीं किया है। मात्र जांच एजेंसी की मौखिक आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत जमातलाशी से बरामद वस्तुओं के उपभोग से वंचित रखा जाना उचित नहीं प्रतीत होता। उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं स्थापित विधि-व्यवस्था के आलोक में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

7. तद्नुसार, यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-14, वाराणसी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 03.07.2025 (केवल व्यक्तिगत जमातलाशी की वस्तुओं की सुपुर्दगी से संबंधित अंश तक) **अपास्त (Set aside)** किया जाता है।

8. तदनुसार, आवेदक को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह निर्णय की तिथि से एक माह के भीत**र** संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष जमातलाशी से बरामद प्रश्नगत वस्तुओं (एक स्वर्ण चेन मय पेंडेंट, तीन स्वर्ण अंगूठियां, एक स्वर्ण ब्रेसलेट एवं ₹850/- नकद) का स्वामित्व दर्शाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ पुनः उचित आवेदन प्रस्तुत करे। यदि ऐसा आवेदन नियत समय में प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सुंदरभाई अंबालाल देसाई (सुप्रा)** के मामले में अभिनिर्धारित विधि-व्यवस्था के आलोक में, आवेदन प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर विधि अनुसार उसका शीघ्रता से निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

9. उपर्युक्त निर्देशों के साथ यह आवेदन पत्र **अंतिम रूप से निस्तारित (Disposed of)** किया जाता है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

September 2, 2026
CP.sahani

Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad